कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4–सुभाष रोड़, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या 593 /XXV –07/2018 देहरादून : दिनांक 17 अप्रैल,2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) के अनुपालन में कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश एवं स्थानान्तरण हेतु सुगम–दुर्गम जनपदों का निर्धारण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण को एक उचित निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) पारित किये गये हैं।

2. उक्त सन्दर्भ में कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–102/XXX–2/2018–30 (13)2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत धारा–4(3) के कम में निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड के विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु सुगम एवं दुर्गम जनपदों का निर्धारण निम्नानुसार होगाः–

सुगम जनपद	दुर्गम जनपद
1–देहरादून 2–हरिद्वार 3–उधमसिंह नगर 4–नैनीताल 5–अल्मोड़ा 6–टिहरी गढ़वाल	1–पौड़ी–गढ़वाल 2–उत्तरकाशी 3–चमोली 4–रूद्रप्रयाग 5–चम्पावत 6–बागेश्वर 7–पिथौरागढ

अतः उक्त शासनादेशों की प्रति आपको संलग्न कर अनुपालन हेतु प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्न–यथोपरि।

(डॉ0वी0 षणमुगम)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।